

ASJ-963-003276

राजस्व रिवीजन / 2016

श्रीमान मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल - ग्वालियर (म. प्र.)



1. पूरण मल पिता मोती लाल भटवेरा
आयु- 65 साल, धन्धा- खेती
2. हिम्मत पिता मोती लाल भटवेरा
आयु- 60 साल, धन्धा- खेती
3. रमेश पिता मोती लाल भटवेरा
आयु- 58 साल, धन्धा- खेती
4. जस्सू उर्फ जसवन्त पिता मोती लाल भटवेरा
आयु- 50 साल, धन्धा- खेती
सभी निवासीगण - ग्राम - हरीनगर ,
तहसील - थांदला
जिला - झाबुआ (म.प्र.)

177/0303-2016

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री सतोष चौहान
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 33-2016
को प्रस्तुत।

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

—प्रार्थीगण

विरुद्ध

भरत पिता मनसुख कुम्हार
आयु- 40 साल, धन्धा- व्यवसाय
निवासी ग्राम - हरिनगर , तहसील -थांदला
जिला - झाबुआ (म.प्र.)

..... प्रतिप्रार्थी

रिवीजन धारा 7 म.प्र. वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारी का
प्रदान किया जाना अधिनियम 1980 के अन्तर्गत


प्रार्थीगण द्वारा यह रिवीजन , श्रीमान अपर कलेक्टर , जिला -
झाबुआ (म.प्र.) द्वारा प्र. क. 10/अपील/2015-2016 में दिनांक 11.02 .
2016 को पारित आदेश से असन्तुष्ट होकर , माननीय न्यायालय के समक्ष
निम्नलिखित तथ्यो एव आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि :-

प्रकरण के तथ्य

1. यहकि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 126/2

CF 20416

प्रमाणपत्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p>21-4-2016</p>	<p>आवेदकगण की ओर से श्री सैतोब चॉटान अभिभाषक उपस्थित। उन्हें शांति पर सुना गया। आवेदकगण की ओर से यह प्रिगरानी अपर क्वेम्बर के जिले आदेश दिनांक 11.2.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, वह अंतिम स्वरूप का आदेश होकर अपील योग्य है। अपील योग्य आदेश के विरुद्ध सेलिटा की धारा 50 के अन्तर्गत प्रिगरानी प्रतिबन्धित है। अतः आवेदकगण को निर्देश दिये जाते हैं कि सक्षम-सामर्थ्य में अपील प्रस्तुत करें। यह प्रिगरानी किर्च के प्रावधानों के अनुसृत प्रस्तुत नहीं होने से समाप्त की जाती है।</p>	<p> 21-4-16</p> <p> अध्यक्ष</p>

